

बाईराजकंवर बनाम सरकार

21-11-09

पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से व गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से बाहमी तौर पर राजीनामा हो चुका है। अतः अपीलांट अब अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः अपील जरिये विद्वावल निर्णित की जावे। अपीलांट की शिनाख्त अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई। प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक अनापत्ति व्यक्त की गई। प्रकरण में चूंकि अपीलांट द्वारा स्वयं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-11-2009 व 08-12-2009 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तथा अब वे स्वयं ही प्रस्तुत अपील को विद्वा करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्वावल खारिज फरमाई जाती है। अपीलांट भविष्य में अपने लिखित कथनों अर्थात् रेस्ज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रामस्वरूप चौहान)

राजस्व अपील अभिभाषकी
बीकानेर

